SYLLABUS

B.Com III YEAR

Subject – Hindi

UNIT – I	1. मेरे सहयात्री (यात्रा वृतांत) – अमृतलाल बेगड़ 2. मध्यप्रदेश की लोक कलाएं (संकलित) 3. लोकोक्तियॉ एवं मुहावरे (संकलित)
UNIT – II	1. जनसंचार माध्यम प्रिन्ट, इलै. एवं सोशल मीडिया 2. टूटते हुए एंकाकी सुरेश शुक्लचंद्र 3. संक्षिप्तियॉ
UNIT– III	1. पत्रकारिता के विभिन्न आयाम (संकलित) 2. मध्यप्रदेश का लोक साहित्य (संकलित) 3. पत्र लेखन– आवेदन, प्रारूपण, आदेश परिपत्र ज्ञापन, अनुस्मारक (संकलित)
UNIT– IV	1. राजभाषा हिन्दी (संकलित) हिन्दी की संवैधानिक एवं व्यावहारिक स्थिति 2. दूरभाष और मोबाईल (संकलित) 3. हिन्दी की शब्द सम्पदा (संकलित) 4. अनुवाद : अर्थ प्रकार एवं अभ्यास
UNIT – V	नैतिक मूल्य 1. विश्व के प्रमुख धर्म एव महत्वपूर्ण विशेषताएं हिन्दु धर्म जैन धर्म बौद्ध धर्म सिख धर्म, ईसाइ धर्म, इस्लाम धर्म 2. सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गॉधी की आत्म कथा का संक्षिप्त संस्करण

renaissance

B.Com III Year **Subject- Hindi**

UNIT I

उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे.किनारे पूरे चार हजार किलोमीटर की यात्रा पैदल कर डाली। कोई साथ मिला तो ठीकए ना मिला तो अकेले ही। कहीं जगह मिली तो सो लियेए कहीं अन्न मिला तो पेट भर लिया। सब कुछ बेहद मौनए चुपचाप और जब उस यात्रा से संस्मरण शब्द और रेखांकनों के द्वारा सामने आये तो नर्मदा का सम्पूर्ण स्वरूप निखरकर सामने आ गया।

अमृतलाल वेगड़ अपनी अंतिम सांस तक यानि नब्बे साल की उम्र तक नर्मदा के हर कण को समझनेए सहेजने और संवारने की उत्कंठा में युवा रहे। उन्होंने अपनी यात्रा के सम्पूर्ण वृतान्त को तीन पुस्तकों में लिखा। पहली पुस्तक ष्सौन्दर्य की नदी नर्मदाष् 1992 में आई थी और अभी तक इसके आठ संस्करण बिक चुके हैं। वेगड़जी अपनी इस पुस्तक का प्रारम्भ करते हैं. श्कभी.कभी मैं अपने.आप से पूछता हूंए यह जोखिम भरी यात्रा मैंने क्यों कीश् और हर बार मेरा उत्तर होताए अगर मैं यात्रा न करताए तो मेरा जीवन व्यर्थ जाता। जो जिस काम के लिये बना होए उसे वह काम करना ही चाहिए और मैं नर्मदा की पदयात्रा के लिये बना हूं।ष्

वेंगड़जी ने अपनी पहली यात्रा सन 1977 में शुरू की थी जब वे कोई 50 साल के थे और अन्तिम यात्रा 1987 में 82 साल की उम्र में। कोई चार हज़ार किलोमीटर से अधिक वे इस नदी के तट पर पैदल चलते रहे। इन ग्यारह सालों की दस यात्राओं का विवरण इन पुस्तकों में है। लेखक अपनी यात्रा में केवल लोक या नदी के बहाव का सौन्दर्य ही नहीं देखतेए बरगी बांधए इंदिरा सागर बांधए सरदार सरोवर आदि के कारण आ रहे बदलावए विस्थापन की भी चर्चा करते हैं।

नर्मदा के एक छोर से दूसरे छोर का सफर 1ए312 किलोमीटर लम्बा है। यानी पूरे 2614 किलोमीटर लम्बी परिक्रमा। कायदे से करें तो तीन सालए तीन महीने और 13 दिन में परिक्रमा पूरी करने का विधान है। जाहिर है इतने लम्बे सफर में कितनी ही कहानियांए कितने ही दृश्यए कितने ही अनुभव सहेजता चलता है यात्री और वो यात्री अगर चित्रकार होए कथाकार भी हो तो यात्राओं के स्वाद को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखता।

वे मूल रूप से चित्रकार थे और उन्होंने गुरू रवीन्द्रनाथ टैगोर के शान्ति निकेतन से 1948 से 1953 के बीच कला की शिक्षा ली थीए फिर जबलपुर के एक कॉलेज में चित्रकला के अध्यापन का काम किया। तभी उनके यात्रा वृतान्त में इस बात का बारीकी से ध्यान रखा गया है कि पाठक जब शब्द बांचे तो

उसके मन.मस्तिष्क में एक सजीव चित्र उभरे। जैसे कि नदी के अर्धचन्द्राकार घुमाव को देखकर लेखक लिखते हैंए ष्मंडला मानो नर्मदा के कर्ण.कुण्डल में बसा है।ष्

उनके भावों में यह भी ध्यान रखा जाता रहा है कि जो बात चित्रों में कही गई है उसकी पुनरावृति शब्दों में ना होए बल्कि चित्र उन शब्दों के भाव.विस्तार का काम करें। वे अपने भावों को इतनी सहजता से प्रस्तुत करते हैं कि पाठक उनका सहयात्री बन जाता है। लेखक ने ष्छिनगांव से अमरकंटकष् अध्याय में ये उदगार तब व्यक्त किये जब यात्रा के दौरान दीपावली के दिन वे एक गांव में ही थे।

ष्आखिर मुझसे रहा नहीं गया। एक स्त्री से एक दीया मांग लिया और अपने हाथ से जलाकर कुण्ड में छोड़ दिया। फिर मन.ही.मन बोलाए ष्मांए नर्मदेए तेरी पूजा में एक दीप जलाया है। बदले में तू भी एक दीप जलाना. मेरे हृदय में। बड़ा अन्धेरा है वहांए किसी तरह जाता नहीं। तू दीप जला देए तो दूर हो जाये। इतनी भिक्षा मांगता हूं। तो दीप जलानाए भलाष्ष एक संवाद नदी के साथ और साथ.ही.साथ पाठक के साथ भी।

इस पुस्तक की सबसे बड़ी बात यह है कि यह महज जलधारा की बात नहीं करतीए उसके साथ जीवन पाते जीवए वनस्पतिए प्रकृतिए खेतए पंक्षीए इंसान सभी को इसमें गूंथा गया है और बताया गया है कि किस तरह नदी महज एक जल संसाधन नहींए बल्कि मनुष्य के जीवन से मृत्यु तक का मूल आधार है। इसकी रेत भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है जितनी जल धारा और इसमें मछली भी उतनी ही अनिवार्य है जितना उसके तट पर आने वाले मवेशियों के खुरों से धरती का मंथना।

अध्याय 13 में वे लिखते हैं. ष्नर्मदा तट के छोटे.से.छोटे तृण और छोटे.से.छोटे कण न जाने कितने परव्राजकोंए ऋषि.मुनियों और साधु.सन्तों की पदधूलि से पावन हुए होंगे। यहां के वनों में अनगिनत ऋषियों के आलम रहे होंगे। वहां उन्होंने धर्म पर विचार किया होगाए जीवन मूल्यों की खोज की होगी और संस्कृति का उजाला फैलाया होगा। हमारी संस्कृति आरण्यक संस्कृति रही। लेकिन अबध हमने उन पावन वनों को काट डाला है और पशु.पक्षियों को खदेड़ दिया है या मार डाला है। धरती के साथ यह कैसा विश्वासघात है।ष्

वेगड़जी कहते हैं कि यह उनकी नर्मदा को समझने.समझाने की ईमानदार कोशिश है और वे कामना करते हैं कि सर्वस्व दूसरों पर लुटाती ऐसी ही कोई नदी हमारे सीनों में बह सके तो नष्ट होती हमारी

सभ्यता.संस्कृति शायद बच सके॰ नगरों में सभ्यता तो है लेकिन संस्कृति गांव और गरीबों में ही थोड़ी बहुत बची रह गई है

इस पुस्तक को पढ़ने के बाद नर्मदा को समझने की नई दृष्टि तो मिलती ही है॰ लेखक की अन्य दो पुस्तकों को पढ़ने की उत्कंठा भी जागृत होती है॰ यह जानना जरुरी है कि लोग बेस्ट सेलर के भले ही बड़े.बड़े दावे करें लेकिन अनुपम मिश्र की आज भी खरे है तालाब के बाद बेगड़जी की पुस्तकें संभवतया सर्वाधिक बिकने वाली हिंदी कि पुस्तकों में होगी॰ इनकी संख्या दो लाख से अधिक है

लोक नृत्य

भारत के किसी अन्य हिस्से की तरह मध्यप्रदेश भी देवी-देवताओं के समक्ष किए जानेवाले और विभिन्न अनुष्ठानों से संबंधित लोक नृत्यों द्वारा अपनी संस्कृती का एक परिपूर्ण दृश्य प्रदान करता है। लंबे समय से सभी पारंपरिक नृत्य, आस्था की एक पवित्र अभिव्यक्ति रहे है। मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग और मध्यप्रदेश की आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा खजुराहो में आयोजित 'लोकरंजन ' - एक वार्षिक नृत्य महोत्सव है, जो मध्यप्रदेश और भारत के अन्य भागों के लोकप्रिय लोक नृत्य और आदिवासी नृत्यों को पेश करने के लिए एक बेहतरीन मंच है।

जब बुंदेलखंड क्षेत्र का प्राकृतिक और सहज नृत्य मंच पर आता है, तब पूरा माहौल लहरा जाता है और देखने वाले मध्यप्रदेश की लय में बहने लगते है। मृदंग वादक ढोलक पर थापों की गति बढाना शुरू करता है और नृत्य में भी गति आ जाती है। गद्य या काव्य संवादों से भरा यह नृत्य प्रदर्शन, 'स्वांग' के नाम से मशहूर है। संगीत साधनों के साथ माधुर्य और संगीत से भरे नर्तक के सुंदर लोकनृत्य का यह अद्वितीय संकलन है। बढ़ती धड़कन के साथ गति बढ़ती जाती है और नर्तकों के लहराते शरीर, दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। यह नृत्य विशेष रूप से किसी मौसम या अवसर के लिए नहीं है, लेकिन इसे आनंद और मनोरंजन की एक कला माना जाता है।

बाघेलखंड का 'रे' नृत्य, ढोलक और नगारे जैसे संगीत वाद्ययंत्र की संगत के साथ महिला के वेश में पुरूष पेश करते है। वैश्य समुदाय में, विशेष रूप से बच्चे के जन्म के अवसर पर, बाघेलखंड के अहीर समुदाय की महिलाएं

यह नृत्य करती है। इस नृत्य में अपने पारंपरिक पोशाक और गहनों को पहने नर्तकियां शुभ अवसर की भावना व्यक्त करती है।

मटकी

'मटकी' मालवा का एक समुदाय नृत्य है, जिसे महिलाएं विभिन्न अवसरों पर पेश करती है। इस नृत्य में नर्तकियां ढोल की ताल पर नृत्य करती है, इस ढोल को स्थानीय स्तर पर 'मटकी' कहा जाता है। स्थानीय स्तर पर झेला कहलाने वाली अकेली महिला, इसे शुरू करती है, जिसमे अन्य नर्तकियां अपने पारंपरिक मालवी कपड़े पहने और चेहरे पर घूंघट ओढे शामिल हो जाती है। उनके हाथो के सुंदर आंदोलन और झुमते कदम, एक आश्चर्यजनक प्रभाव पैदा कर देते हैं।

गणगौर

यह नृत्य मुख्य रूप से गणगौर त्योहार के नौ दिनों के दौरान किया जाता है। इस त्योहार के अनुष्ठानों के साथ कई नृत्य और गीत जुडे हुए है। यह नृत्य, निमाड़ क्षेत्र में गणगौर के अवसर पर उनके देवता राणुबाई और धनियार सूर्यदेव के सम्मान में की जानेवाली भक्ति का एक रूप है।

बधाईं

बुंदेलखंड क्षेत्र में जन्म, विवाह और त्योहारों के अवसरों पर 'बधाईं' लोकप्रिय है। इसमें संगीत वाद्ययंत्र की धुनों पर पुरुष और महिलाएं सभी, ज़ोर-शोर से नृत्य करते हैं। नर्तकों की कोमल और कलाबाज़ हरकतें और उनके रंगीन पोशाक दर्शकों को चकित कर देते है।

बरेडी

दिवाली के त्योहार से पूर्णिमा के दिन तक की अवधि के दौरान बरेडी नृत्य किया जाता है। मध्यप्रदेश के इस सबसे आश्चर्यजनक नृत्य प्रदर्शन में, एक पुरुष कलाकार की प्रमुखता में, रंगीन कपड़े पहने 8-10 युवा पुरुषों का एक समूह नृत्य करता हैं। आमतौर पर, 'दीवारी' नामक दो पंक्तियों की भक्ति कविता से इस नृत्य प्रदर्शन की शुरूवात होती है।

नौराता

मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों के लिए इस नृत्य का विशेष महत्त्व है। नौराता नृत्य के जरीये, बिनब्याही लडकियां एक अच्छा पति और वैवाहिक आनंद की मांग करते हुए भगवान का आह्वान करती है। नवरात्रि उत्सव के दौरान नौ दिन, घर के बाहर चूने और विभिन्न रंगों से नौराता की रंगोली बनाई जाती है।

अहिराई

भरम, सेटम, सैला और अहिराई, मध्यप्रदेश की 'भारीयां' जनजाति के प्रमुख पारंपरिक नृत्य हैं। भारीयां जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य, विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस समूह नृत्य प्रदर्शन के लिए ढोल और टिमकी (पीतल धातु की थाली की एक जोड़ी) इन दो संगीत उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता हैं। ढोल और टिमकी बजाते हुए वादक गोलाकार में घुमते है, ढोल और टिमकी की बढती ध्वनी के साथ नर्तकों के हाथ और कदम भी तेजी से घुमते है और बढती-चढती धून के साथ यह समूह एक चरमोत्कर्ष तक पहुँचता है। संक्षिप्त विराम के बाद , कलाकार दुबारा मनोरंजन जारी रखते है और रात भर नृत्य चलता रहता है।

भगोरियां

विलक्षण लय वाले दशहरा और डांडरियां नृत्य के माध्यम से मध्यप्रदेश की बैगा आदिवासी जनजाति की सांस्कृतिक पहचान होती है। बैगा के पारंपरिक लोक गीतों और नृत्य के साथ दशहरा त्योहार की उल्लासभरी शुरुआत होती है। दशहरा त्योहार के अवसर पर बैगा समुदाय के विवाहयोग्य पुरुष एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, जहां दूसरे गांव की युवा लड़कियां अपने गायन और डांडरीयां नृत्य के साथ उनका परंपरागत तरीके से स्वागत करती है। यह एक दिलचस्प रिवाज है, जिससे बैगा लड़की अपनी पसंद के युवा पुरुष का चयन कर उससे शादी की अनुमति देती है। इसमें शामिल गीत और नृत्य, इस रिवाज द्वारा प्रेरित होते हैं। माहौल खिल उठता है और सारी परेशानियों से दूर, अपने ही ताल में बह जाता है।

परधौनी, बैगा समुदाय का एक और लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से दूल्हे की पार्टी का स्वागत और मनोरंजन करने के लिए करते हैं। इसके द्वारा खुशी और शुभ अवसर की भावना व्यक्त होती है। कर्मा और सैली (गोंड), भगोरियां (भिल), लेहंगी (सहारियां) और थाप्ती (कोरकू) यह कुछ अन्य जानेमाने आदिवासी नृत्य है।

लोक गीत

किसी भी देश का इतिहास, वहां के लोकप्रिय गीतों के द्वारा बताया जाता है। पारंपरिक संगीत के चाहने वालों के लिए मध्यप्रदेश बेहतरीन दावते प्रदान करता है। यह लोक गीत, गायन की विशिष्ट शैली के द्वारा बलिदान, प्यार, कर्तव्य और वीरता की कहानियां सुनाते हैं। मूल रूप से राजस्थान के 'ढोला मारू' लोकगीत, मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय है और इन क्षेत्रों के लोग अपनी विशिष्ट लोक शैली में प्यार, जुदाई और पुनर्मिलन के ढोला मारू गीत गाते है।

मध्यप्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में हर अवसर पर, यहां तक कि मौत पर भी महिलाओं को लोक गीत गाते देखना, कोई आशचर्य वाली बात नही है।

लोक गायन का एक रूप 'कलगीतुर्रा', मंडला, मालवा, बुंदेलखंड और निमाड़ क्षेत्रों में लोकप्रिय है, जो चांग और डफ की धून के साथ प्रतियोगिता की भावना में जोश भरता है। इसमे महाभारत और पुराणों से लेकर वर्तमान मामलों पर आधारित गाने शामिल होते हैं और एक दूसरे को चतुराई से मात देने की कोशिशे रात भर चलती है। इस पारंपरिक गायकी का मूल, चंदेरी राजा शिशुपाल के शासनकाल मे पाया गया है। निमाड़ क्षेत्र में 'निर्गुनी' शैली के नाम से लोकप्रिय इस गायकी में सिंगजी, कबीर, मीरा, दादू जैसे संतों द्वारा रचित गीत गाये जाते हैं। इस गायन में आम तौर पर इकतारा और खरताल (लकडी से जुडे छोटे धातु पटल वाला एक संगीत उपकरण) इन साजों का साथ होता है। निमाड़ में लोकगायन का एक अन्य बहुत लोकप्रिय रूप है 'फाग', जो होली के त्योहार के दौरान डफ और चांग के साथ गाया जाता है। यह गीत प्रेमपूर्ण उत्साह से भरपूर होते है।

निमाड़ में नवरात्रि का त्योहार, लोकप्रिय लोक-नृत्य गरबा के साथ मनाया जाता है। गरबा गीत के साथ गरबा नृत्य, देवी शक्ति को समर्पित होता है। पारंपरिक रूप से गरबा पुरुषों द्वारा किया जाता है और यह निमाड़ी लोक-नृत्य और नाटक का एक अभिन्न हिस्सा है। गायन को मृदंग (ढोल एक रूप) का साथ होता है। रासलीला के दौरान यह गौलन गीत गाए जाते हैं। मालवा क्षेत्र के नाथ समुदाय के बीच भर्तृहरी लोक-कथा के प्रवचन सबसे लोकप्रिय गायन फार्म है। चिंकारा नामक (सारंगी का एक रूप, जो घोड़े के बाल से बने तारों वाला वाद्य होता है, मुख्य शरीर बांस से बना होता है और नारियल खोल से धनुष बनाया जाता हैं) स्थानीय साज के साथ महान राजा भर्तृहरी और कबीर, मीरा, गोरख और गोपीचंद जैसे संतों द्वारा रचित भजन गाए जाते है। इससे एक अद्वितीय ध्वनि निकलती है।

मालवा क्षेत्र में युवा लड़कियों के समूह द्वारा गाये जाने वाले गीत, लोक संगीत का एक पारंपरिक मधुर और लुभावना फॉर्म है। समृद्धि और खुशी का आह्वान करने हेतु लड़कियां गाय के गोबर से संजा की मूरत बनाती है और उसे पत्ती और फूलों के साथ सजाती है तथा शाम के दौरान संजा की पूजा करती है। 18 दिन बाद, अपने साथी संजा को विदाई देते हुए यह उत्सव समाप्त होता है। मानसून की बारिश प्यासी पृथ्वी की प्यास बुझाती है, है, पेड़ो पर झुले सजते हैं और ऐसे में मालवा क्षेत्र के गीत सुनना मन को बेहद भाता है। हिड गायन में कलाकार पूर्ण गले की आवाज के साथ और शास्त्रीय शैली में आलाप लेकर गाते हैं। मालवा क्षेत्र में मानसून के मौसम के दौरान 'बरसाती बरता' नामक गायन आमतौर पर होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र योद्धाओं की भूमि है। अपने योद्धाओं को प्रेरित करने हेतु बुंदेलखंड के अलहैत समुदाय ने अल्लाह उदुल के वीर कर्मो से भरे गीतों की रचना की। 52 युद्ध लड़नेवाले अल्लाह उदुल की बहादुरी, सम्मान, वीरता और शौर्य के किस्से, इस क्षेत्र के लोग बरसात के मौसम के दौरान परंपरागत रूप से प्रदर्शित करते हैं। इसे ढोलक (छोटा ढोल, जिसे दोनो तरफ से हाथ के साथ बजाया जाता है) और नगारे (लोहा, तांबा जैसे धातु के दो ढोल, खोखले बर्तन के खुले चेहरे पर तानकर फैली भैंस की त्वचा जो पारंपरिक तरिके से लकड़िया से पीटा जाता है) के साथ गाया जाता है।

होली, ठाकुर, इसुरी और राय फाग उत्सव से संबंधित गाने भी होते हैं। दिवाली के त्योहार के अवसर पर ढोलक, नगारा और बांसुरी की धुन के साथ देवरी गीत गाए जाते हैं। शिवरात्री, बसंत पंचमी और मकर संक्रांति के त्योहार के मौकों पर बुंबुलिया गीत गाए जाते हैं। बाघेलखंड क्षेत्र के लोक-गीतों की गायन शैली मध्यप्रदेश के अन्य क्षेत्रों से अलग है। इसमे पुरुष और महिला, दोनों की आवाज मजबूत और शक्तिशाली होती हैं। इन गानों में समृद्धि और विविधता होती है, जो इस क्षेत्र की संस्कृति और विरासत को दर्शाते है। गीतों के विषय में काफी विविधता होती है और उनमे विभिन्न विषय शामिल होते है।

बासदेव, बाघेलखंड क्षेत्र के गायकों का पारंपरिक समुदाय है, जो सारंगी और चुटकी पैंजन के साथ, पौराणिक बेटे श्रवण कुमार से जुडे गीत गाता है। पीले वस्त्र और सिर पर भगवान कृष्ण की मूर्ति से उनकी पहचान होती हैं। गायकों की जोड़ी यह गीत गाती है। रामायण तथा कर्ण, मोरध्वज, गोपचंद, भर्तृहरी, भोलेबाबा की कहानियां, बासदेव के गीतों के अन्य विषय है। गायकों की मनोवस्था दर्शाती, बिरहा और बिदेसीयां, बाघेलखंड की गायकी की दो अन्य महत्वपूर्ण शैलियां है। बिदेसीयां गीत प्यार, जुदाई और प्रेमी के साथ पुनर्मिलन के विषय से संबंधित होते है। बिदेसीयां गीत, प्यार करनेवाले से जल्दी लौटने की गुज़ारिश करता है। होली के त्योहार पर गाए जानेवाले

'फाग' गीत, बसंत मौसम और व्यक्तिगत संबंधों की अभिव्यक्ति करते हैं। नगारा जोर-शोर से बजता है और गाने वाले उस धून पर सवार हो जाते हैं।

मध्यप्रदेश में खराब पर लकड़ी को सुडोल रूप देने की कला अति प्राचीन है खिलौने और सजावट की सामग्री तैयार करने की अनंत संभावनाएं होती है बारात कलाकार परंपरागत होते हैं शिवपुर कला बुधनी घाट रीवा मुरैना की खराद कला ने प्रदेश ही नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर की प्रसिद्धि पाई है लकड़ी पर चढ़ाए जाने वाले रंगों का निर्माण इन कलाकारों द्वारा अपने डेट रूप में

आज भी मौजूद है खराद सागवान, दूधी, कदंबसलाई, गुरजेल मेंडला,खैर की लकड़ी पर की जाती है लकड़ी चपड़ी राजन,सरेश गोंद.जिंक पाउडर से रंग बनाए जाते हैं केवड़े के पत्ते से रंगों में चमक पैदा की जाती है श्योपुर कला, रीवा और बुधनी घाट खराद कला के पारंपरिक केंद्र है !

Comb Art (कंघी कला)

कंघी कला संपूर्ण भारत के ग्रामीण समाज में आमतौर पर और आदिवासी समाज में खासतौर पर अनेक प्रकार की कंघियों का प्राचीन काल से ही प्रचलन चला रहा है

आदिवासियों मैं तो कंघियों का इतना अधिक महत्व है की कमियां अलंकरण गोदना एवं भित्ति चित्रों के मैं एक अभिप्राय के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुकी है इन पंक्तियों में घड़ाई के सुंदर काम के साथ ही रत्नों की जड़ाई मीनाकारी और अनेकों अभिप्रायों का द्वारा उनका अलंकरण किया जाता है कंघिघी बनाने का श्रेय बंजारा जाति को है मालवा में कंघी बनाने का कार्य उज्जैन रतलाम नीमच से होता है !

Arrow bow art (तीर धनुष कला)

वन्य जातियों में मैं तीर धनुष रखने की परंपरा है तीर धनुष बाण मोरपंखी लकड़ी लोहे,रस्सी आदि से बनाए जाते हैं तीर धनुष शिकार के लिए बनाए जाते हैं भील, पहाड़ी कोरवा, कुमार आदि जनजातियां तीर धनुष चलाने में कुशल होते हैं तीर धनुष भील आदिवासियों की पहचान बन गई है प्रत्येक भील धनुष बाण अपने साथ रखता है भील तीर चलाने में निपुण और निशाना लगाने में अचूक होते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक आदिवासी तीर कमान अपने हाथ से तैयार करते हैं

Bamboo crafts (बांस शिल्प)

बांस से बनी कलात्मक वस्तुएं सौंदर्य परखता और जीवन उपयोगी भी होती है इसलिए शिल्प की महत्ता जीवन में और बढ जाती है बस्तर झाबुआ मंडला आदि जिलों में जनजातियों के लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग के लिए बांस की बनी कलात्मक चीजों का स्वयं अपने हाथों से निर्माण करते हैं बांस का कार्य करने वाली कई जातियों में कई सिद्धहस्त कलाकार हैं झाबुआ मंडला में बांस शिल्प के अनेक परंपरागत कलाकार है

Card Carft (पत्ता शिल्प)

पत्ता शिल्प के कलाकार मूल्यत: झाड़ू बनाने वाले होते हैं पेड़ पौधों के विभिन्न आकारों से मिलने वाले पत्तों के लिए मनुष्य का मन आदि काल से ही आकर्षित रहा है मनुष्य ने इन पत्तों में कला के आयाम ढूंढे हैं छिन्द पत्तों से कलात्मक खिलौने चटाई आसन, दूल्हा दुल्हन के मोड़ आदि बनाए जाते हैं पत्तों की कोमलता के अनुरूप उन्हें विभिन्न कला अभिप्राय को बनने में अनेक जातियों और जनजातियों के पारंपरिक कलाकार आज भी लगे हैं

Puppet (कठपुतली)

कथा और ऐतिहासिक घटनाओं को नाटकीय अंदाज में व्यक्त करने की मनोरंजक विधा कठपुतली है इसमें मानवीय विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने की गुंजाइश नहीं है कठपुतली के प्रसिद्ध पात्र अनारकली, बीरबल, बादशाह अकबर ,पुंगी वाला घुड़सवार ,सांप और जोगी होते हैं !

भारतवर्ष में कठपुतली का इतिहास भारतीय नाट्य से ही प्राचीन है बट पुतलियां कठिन से कठिन मानवी स्थितियों को प्रस्तुत करने में असमर्थ होती है कठपुतली की चार प्रकार की शैलियां हैं :- दस्ताना पुतली, धड़पुतली, सूत्री संबंधी पुतली और छाया पुतली ! कठपुतलियों के विभिन्न कलाकार दल अपनी शैली में भारतीय ऐतिहासिक आख्यानों को कलात्मक ढंग से गांव-गांव में प्रस्तुत करते हैं जिन्हें वे कठपुतली का खेल कहते हैं

Doll crafts (गुड़िया शिल्प)

नई पुरानी रंगीन चिंदियों और कागजों से गुड़िया बनाने की परंपरा लोक में सब दूर देखी जा सकती है खिलौने मैं गुड़िया बनाने की प्रथा बहुत पुरानी है परंतु कुछ गुड़िया है पर्व त्योहारों से जुड़कर मांगलिक अनुष्ठान पर एक भी होती है जून का निर्माण और बिक्री उसी अवसर पर होती हैं

ग्वालियर अंचल में कपड़े लकड़ी और कागज से बनाई जाने वाली गुड़ियों की परंपरा अनुष्ठानिक है गुड्डा गुड़िया का ब्याह रचाया जाता है उनके नाम से व्रत पूजा की जाती है ग्वालियर अंचल की गुड़िया आएं अपने आकार-प्रकार सहित सजा सज्जा वेशभूषा और चेहरे की बनावट के लिए प्रसिद्ध है झाबुआ भीली गुड़ियों का केंद्र बन गया है

भीलो की शारीरिक बनावट उनकी वेशभूषा आभूषण अलंकरण तीर धनुष आदि को देखकर उनकी आकृति को कपड़े लकड़ी तारा आदी से बनाने का काम स्थानीय कलाकारो ने किया है तब से झाबुआ की भीली गुड़िया प्रदेश और प्रदेश के बाहर तक प्रसिद्धि पा गई है झाबुआ की गुड़िया राज्य स्तर पर प्रशंसा पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है ग्वालियर की गुड़िया देश तथा विदेश में विख्यात हुई है

छीपा शिल्प

कपड़े पर हाथ से बनाए जाने वाले छीपा शिल्प में विभिन्न में विचारों को उकेरा जाता है इनमें भील आदिवासियों के विभिन्न में जातीय प्रतीकों का समावेश होता है आज भी अधिकांश भील आदिवासियों द्वारा इन्हीं वस्तुओं का उपयोग किया जाता है पिछले वर्षों में छीपा शिल्प कला ने एक व्यवसायिक उद्योग का रूप ले लिया है

बाग.कुक्षी मनावर गोवावां खिराला उज्जैन छीपा शिल्प के पारंपरिक केंद्र हैं उज्जैन को शिफ़ा सेल्फी भेरूगढ के नाम से देश तथा विदेश में विख्यात है छिपा शिल्प में कई कलाकारों को प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर के सम्मान मिल चुके हैं !

Maheshwari Sarees (महेश्वरी साड़ियां)

महेश्वरी साड़ियां अपनी बनावट सजावटी रंग और कलात्मकता के लिए भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी सराही जाती हैं महेश्वर के पारंपरिक बुनकरों द्वारा बोली गई सूती और रेशमी साड़ियां सुंदर टिकाऊ एवं पक्के रंग की होती हैं

जिन पर जरी और केले के धागों से छोटे बेल-बूटे गडे जाते हैं महेश्वरी साड़ी की प्रमुख विशेषता चोखाडा चौकड़ी कलात्मक किनारा,मनमोहक पल्लू, हल्के कैसे चमकदार चांदी और सोने में रंगों में जरी रेशम के हथकरघा की कढाई है महेश्वरी साड़ियों उद्योग को स्थापित करने का श्रेय प्रसिद्ध शासक आहिल्याबाई को है महेश्वरी साड़ी पूर्णता देसी वस्तु कला की देन है यह कला महेश्वर में जन्मी पनपी और विस्तारित हुई है !

Chanderi sari (चंदेरी साड़ी)

चंदेरी में बनने के कारण इस साड़ी का नाम चंदेरी साड़ी पड़ा चंदेरी साड़ी रेश्मी और सूती दोनों तरह की बनाई जाती है साड़ी में सूक्ति और रश्मी बड़े छोटे बूटे डाले जाते हैं चंदेरी साड़ी की विशेषता उसके हल्के और गहरे रंग कलात्मक चौड़े बॉर्डर तरह साड़ी के बीच में बड़ा जरी के जरिए रेशम और सूती बेल बुटे होते हैं चंदेरी साड़ी की बनावट पर आया शादी होती है लेकिन उसके पल्लू पर विभिन्न रंगों धागों से सुनियोजित बड़े आकार के बेल-बूटे मोर बतक आदि की आकृतियां गाड़ी जाती है चंदेरी साड़ी की लोकप्रियता प्रदेश के बाहर विदेशों तक पहुंची है

भीली चोमल, बटुआ, थैलियां,मोतीमाला:-

भील भिलाल महिलाएं दैनिक उपयोग के लिए रंगीन धागों से सुंदर कोमल बटुआ और थैलियां बनाती हैं धार झाबुआ क्षेत्र में कलात्मक कोमल बटुआ अत्यधिक लोकप्रिय है भीली महिलाएं उन्हें बनाने में पारंपरिक रूप से पारंगत होती है भील महिलाएं तरह-तरह के मोतियों की माला पहनने की अत्यधिक शौकीन होती है यह मालाएं भीली स्त्रियां स्वयं तैयार करती हैं भील लड़कियां बचपन में घर में अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं से खाना बनाना सीख जाती है मोती माला की प्रमुख विशेषता उनकी गुथाबन है जिससे महिलाओं में सुंदर जालियां तथा फूलों का आकार बनता है माला में छोटे-छोटे रंगीन तथा सफेद मोतियों का उपयोग अधिकता से होता है

प्रस्तार शिल्प

मंदसौर और रतलाम जिला इसके केंद्र कहे जा सकते हैं जहां पत्थर को विभिन्न प्रकार प्रदान करने वाले श्रेष्ठ और परंपरागत कलाकार मौजूद हैं यह शिल्पकार गुर्जर गायरी जाट भील आदि जातियों और जनजातियों के लिए देवनारायण,बाधा, पाठ्यचर्या, नाग बावजी,भेरु बावजी ,रामदेवजी शक्ति महेश्वरीमाता,नाहर श्री माता गपल्या वीर तेजाजी गणपति दुर्गा हनुमान आदि हिंदू लोग देव लोक से जुड़ी मूर्तियों का निर्माण करते हैं इनके अलावा भी कुछ मूर्तियां तथा शिल्प ऐसे भी बनाते हैं

जिसका महत्व सौंदर्यात्मक अथवा दैनिक उपयोगी वस्तुओं का है देवड़ा घाट संगमरमर की मूर्तियां और ग्वालियर पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने का केंद्र है

Lakh craft (लाख शिल्प)

वृक्ष के गोंदिया रस से लाख बनाई जाती है लाख को गर्म करके उसमें विभिन्न रंगों को मिलाकर अलग-अलग रंगों के फूल बनाए जाते हैं लाख का काम करने वाली एक जाति का नाम ही लाख है लाख कलाकार जाति की स्त्री पुरुष दोनों पारंपरिक रुप से लखा कर्म में दक्ष होते हैं

लाख के चूड़े कलात्मक खिलौने सिंगार पटेरी डिब्बियां लाख के अलंकृत पशु पक्षी आदि कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है उज्जैन इंदौर रतलाम मंदसौर महेश्वर लाख सेल्फ के परंपरागत केंद्र में से हैं !

आदिवासी और लोक चित्रकला (Tribal & Folk Painting)

आदिम जातियों में प्रागैतिहासिक काल से ही जीवन और सौंदर्य बहुत विकसित हुआ गुहा ग्रहों की दीवारों पर अलंकरण और शिकार चित्र इसके प्रमाण है घर की धारणा बनते ही घर की दीवारों को अलंकृत करने की तीव्र लालसा भीतो पर चित्र और अलंकरण के विभिन्न रूपों कार्य में सभी जातियों और जातियों के ग्रामीण स्थापत्य कला में आज भी दिखाई देते हैं

मंडला के गोंड, बेगा.परधान,बैगा, बेतूल के गोंड, कोरकु,, छिंदवाड़ा के गोन्ड भारिया झाबुआ के भील भिलाला रीवा शहडोल के गोंड कोल आदि में पारंपरिक चित्रकला आलेखन कला और मिट्टी से तरह-तरह की कलात्मक जालिया कोषठिया पशु-पक्षी मूर्तियां स्थानीय देवी देवताओं की मूर्ति बनाने की प्रथा दिखाई देती है

Terracotta craft (टेराकोटा शिल्प)

मंडला जिले में निवास करने वाली कौन देगा प्रधान धीमा जेन भारत पुनिया और अरहरिया जनजातियों के पाटरी और टेराकोटा शिल्प के शिल्पी होते हैं इस शिल्प में धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं में काम आने वाली प्रतिभाओं का निर्माण होता है इसमें बड़ी देवी फुलवारी देवी की प्रतिमाए प्रसिद्ध हैं इस शिल्प में तरह तरह के खिलौने सजावटी सामान और गमलो का निर्माण भी होता है

भरेवा शिल्प:- बैतूल के आदिवासी द्वारा धातु से दैनिक उपयोग की कलात्मक वस्तुएं तथा देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है

पीतल शिल्प:- पीतल एवं तांबे से नरसिंहपुर जिले (चिंचली) में कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है यहां प्रमुख रूप से बर्तन बनाने का काम होता है जिसमें परात, डेचकी व गंज शामिल है

धातु शिल्प:- सतना के उचेहरा कस्बे में कासे से प्रसिद्ध बटलोही नामक पात्र बनाए जाते हैं

सुपारी शिल्प:- रीवा में सुपारी पर मूर्तियां बनाई जाती हैं

खिलौना शिल्प:- सीहोर जिले के बुधनी तहसील काष्ठ कला कृतियों के लिए प्रसिद्ध है यहां पर लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं

मुहावरे एवं लोकोक्ति

सामान्य अर्थ का बोध न कराकर विशेष अथवा विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले पदबन्ध को मुहावरा कहते हैँ। इन्हेँ वाग्धारा भी कहते हैँ।

मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है, जो रचना मेँ अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है। रचना मेँ भावगत सौन्दर्य की दृष्टि से मुहावरोँ का विशेष महत्त्व है। इनके प्रयोग से भाषा सरस, रोचक एवं प्रभावपूर्ण बन जाती है। इनके मूल रूप मेँ कभी परिवर्तन नहीँ होता अर्थात् इनमेँ से किसी भी शब्द का पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त नहीँ किया जा सकता। हाँ, क्रिया पद मेँ काल, पुरुष, वचन आदि के अनुसार परिवर्तन अवश्य होता है। मुहावरा अपूर्ण वाक्य होता है। वाक्य प्रयोग करते समय यह वाक्य का अभिन्न अंग बन जाता है। मुहावरे के प्रयोग से वाक्य मेँ व्यंग्यार्थ उत्पन्न होता है। अतः मुहावरे का शाब्दिक अर्थ न लेकर उसका भावार्थ ग्रहण करना चाहिए।

प्रमुख मुहावरे व उनका अर्थ:

अक्ल चरने जाना

– बुद्धि का न होना।

• अक्ल का पुतला

– बुद्धिमान।

• अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना

– मूर्खता का काम करना।

• अपनी खिचड़ी खुद पकाना

– मिलजुल कर न रहना।

• अपना उल्लू सीधा करना

– स्वार्थ सिद्ध करना।

• अपना सा मुँह लेकर रहना

– लज्जित होना।

• अरमान निकालना

– मन का गुबार पूरा करना।

एक ही थैली के चट्टे–बट्टे

– सब एक से, सभी समान रूप से बुरे व्यक्ति।

• एक हाथ से ताली न बजना

– किसी एक पक्ष का दोष न होना।

• एक ही नौका में सवार होना

– एक समान परिस्थिति में होना, किसी भी कार्य के लिए सभी पक्षों की सक्रियता अनिवार्य होती है।

• एक आँख न भाना

– तनिक भी अच्छा न लगना।

लोकोक्ति का अर्थ है, लोक की उक्ति अर्थात् जन–कथन। लोकोक्तियाँ अथवा कहावतें लोक–जीवन की किसी घटना या अन्तर्कथा से जुड़ी रहती हैं। इनका जन्म लोक–जीवन में ही होता है। प्रत्येक लोकोक्ति समाज में प्रचलित होने से पूर्व में अनेक बार लोगों के अनुभव की कसौटी पर कसी गई है और सभी लोगों के अनुभव उस लोकोक्ति के साथ एक से रहे हैं, तब वह कथन

सर्वमान्य रूप से हमारे सामने है। लोकोक्तियाँ दिखने में छोटी लगती हैँ, परन्तु उनमें अधिक भाव रहता है। लोकोक्तियोँ के प्रयोग से रचना में भावगत विशेषता आ जाती है।

मुहावरे एवं लोकोक्ति में अन्तर–

मुहावरा वाक्यांश होता है तथा इसके अन्त में 'होना', 'जाना', 'देना', 'करना' आदि क्रिया का मूल रूप रहता है, जिसका वाक्य में प्रयोग करते समय लिँग, वचन, काल, कारक आदि के अनुसार रूप बदल जाता है। जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है और प्रयोग स्वतन्त्र वाक्य की तरह ज्योँ का त्योँ होता है

हल्दी लगे न फिटकरी रंग आए चोखा

– बिना कुछ खर्च किए काम बनाना।

• हाथ सुमरनी पेट/बगल कतरनी

– ऊपर से अच्छा भीतर से बुरा।

• हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या

– प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीँ।

• हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और

– भीतर और बाहर में अंतर होना।

renaissance

UNIT II

जनसंचार

1) रेडियों- रेडियों जनसंचार का सशक्त माध्यम रहा है। इसे आकाशवाणी भी कहा जाता है। क्योंकि समाचारों को आकाश में प्रसारित कर सामान्य जनता तक पहुचाये जाते है। जहा समाचार पत्र नहीं पहुँचता वहा रेडियों द्वारा जनसंचार का कार्य होता है। मनोरंजनात्मक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों की वजह से रेडियों निरक्षर और गरिब जनता में लोकप्रिय और प्रभावी माध्यम आज भी है

2) दूरदर्शन:- दूरदर्शन दृश्य श्राव्य माध्यम है। पहले सिर्फ समाचार रेडियों पर सून सकते थे पर दूरदर्शन के आगमनसे लोग घर पर ही विश्व में घटीत होने वाली अच्छी बुरी घटना का सीधा प्रसारण दूरदर्शन तरंगो द्वारा देख और सून सकते है। इसी कारण वह जनसंचार के माध्यम में प्रभावशाली माध्यम बना है। " "अत्वविश्वास तथ सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ दूरदर्शन जबरदस्त धर्मयुध्द छेड सकता है और इसकी क्षमता दूरदर्शन में है। 3) इसी कारण दर्शकों की पहली पसंद दूरदर्शन है। दूरदर्शन पर आज कई चैनल है जो दिनभर लगातार समाचार प्रसारित करते रहते है। जिसमें हर घटना का विस्तृत स्पष्टीकरण भी होता है। इसलिए दूरदर्शन जनसंचार का एक सशक्त माध्यम है।

renaissance

3) विज्ञापन:- आज कल बाजार में आने वाली हर वस्तु और सेवा को सम्मोहक जानकारी देने का ठोस माध्यम विज्ञापन है। बाजार में अपना अस्तिव जमाने के लिए हर उद्योग समुह विज्ञापन के माध्यम से अपनी वस्तु , सेवा दूसरों के मुकाबले कितनी अच्छी है यह दिखाने का कार्य विज्ञापन द्वारा किया जाता है। विज्ञापन मनुष्य की आशा पुर्ति में सहायक सिध्द हो रहे है। " विज्ञापन का उद्देश्य वस्तु या सेवा के बारे में जानकारी देना , उपभोक्तओं का ध्यान आकर्षित करना उनमें रुचि उत्पन्न करना , मांग बढाना , विक्री बढाना आदि है। " 4) जीससे आदमी वस्तु की और आकर्षित होता है। स्वच्छता , परिवार नियोजन , नशा मुक्ति के विज्ञापनो द्वारा भी जनसंचार का कार्य होता है।

4) फिल्म:- फिल्म दृश्य श्राव्य माध्यम है वह भी जनसंचार का एक सशक्त माध्यम है। यह कलात्मक माध्यम होने के कारण इसमें अभिनय के साथ साथ नाटय संगीत , नृत्य , शिल्प का प्रयोग भी होता है। सिनेमा के निर्देशक , गीतकार अभिनेता गण समाज हित सामने रखकर फिल्म का निर्माण करते है। फिल्म की कथा में सामाजिक समस्या देशप्रेम , रसानियत , दोस्ती ओर संस्कृति होती है। कई फिल्मों में बाल मजदूरी , नारी पीडा , दहेज समस्या , एडस , नशा ऐसे जन जागृति पूरक विषय भी फिल्म में दिखाये जाते है जिससे जनसंचार का कार्य होता है।

5) कम्प्यूटर:- वर्तमान युग में जनसंचार के क्षेत्र में सबसे प्रभावी माध्यम कम्प्यूटर है। व्यापार वैज्ञानिक अनुसंधान , अंतरिक्ष पर्यावरण चिकिसा इन क्षेत्र में जो प्रगती हुई है वह कम्प्यूटर द्वारा ही संभव हो सकी है और उसे सफल करने मे इंटरनेट बडा मदतगार साबीत हो रहा है।

renaissance

6) इंटरनेट:- कई कम्प्यूटर को जोडने का काम इंटरनेट द्वारा होता है। इंटरनेट की सहायता से इलेक्ट्राॅनिक मेल द्वारा हम विश्व के किसी भी कोने में अपना संदेश कुछ ही पल में भेज सकते है। सारा विश्व इंटरनेट द्वारा एक सुत्र में बांध दिया है। छोटी जानकारी से लेकर बडी जानकारी आज इंटरनेट पर उपलध्द है। वर्तमान इंटरनेट जीवन की जरुरत बन गया है। क्योंकि इंटरनेट का प्रयोग करके सूचनाओं का आदान प्रदान करने के साथ-साथ शिक्षा , सामाजिक , संबंध मनोरंजन चिकित्सा संलग्न जानकारी हमें मिलती है। विदेश में रहने वाले लोग इंटरनेट पर अपने विचारों को व्यक्त कर सकते है साथ ही भारतीय समाचार पत्र भी पढ सकते है। वर्तमान में इंटरनेट जनसंचार का एक सशक्त माध्यम बना है। इसके अलावा पेजर , सेल्यूलर फोन , फॅक्स आदि द्वारा भी जनसंचार का आदान प्रदान बडी सरलता से कर सकते है। पूराने जमाने में जनसंचार का कार्य धर्म प्रचारक , धर्म गुरु , और लोकगीत के माध्यमसे होता था साथ ही लोककथा और लोककला द्वारा की जनसंचार का कार्य होता रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुवाति काल में जनसंचार के परंपरागत माध्यम ही प्रभावी सिध्द हुए है। आधुनिक माध्यम में समाचार पत्र आजभी जनसंचार में प्रभावी माध्यम है। काल क्रमानुसार इलेक्ट्रोनिक माध्यम में रेडियो ने मनोरंजन के साथ ज्ञानवर्धक जानकारी पहुचाने का कार्य किया है। दूरदर्शन ने तो घर - घर मे ंजनसंचार के क्षेत्र में अपना स्थान निश्चित किया है। विज्ञापन आजकी जरुरत हो गयी है। इसमें सामाजिक विज्ञापन होते है जैसे दहेजबंदी , बेटी बचाव बेटी पढाओं , परिवार नियोजन , स्वच्छता अभियान ऐसे विज्ञापनों द्वारा भी जनसंचार कार्य होता है। फिल्म तो समाज के हर पहलू को छूति हुई निरंतर अग्रसर होती नजर आति है। समाज की बुराई समाज हित की बात फिल्म द्वारा उजागर होति है। कम्प्यूटर पर इंटरनंट द्वारा हम सारे विश्व की जानकारी का आदान प्रदान कुछ ही पल में कर सकते है। जिसमें ई - मेल , बडी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंटरनेट वर्तमान में जनसंचार के क्षेत्र में सबसे आगे माना जाता है।

UNIT III

पत्रकारिता-एक परिचय

पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित करके आम पाठकों तक पहुँचाने से है। लेकिन हर सूचना समाचार नहीं है। पत्रकार कुछ ही घटनाओं, समस्याओं और विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसी घटना के समाचार बनने के लिए उसमें नवीनता, जनरुचि, निकटता, प्रभाव जैसे तत्वों का होना जरूरी है।

. **पत्रकारिता:**

ऐसी सूचनाओं का संकलन एवं संपादन कर आम पाठकों तक पहुँचना, जिनमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो तथा जो अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करती हों, पत्रकारिता कहलाता है।

७. **समाचार:** समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है,जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता हो ।

८. **समाचार के तत्त्व:** पत्रकारिता की दृष्टि से किसी भी घटना, समस्या व विचार को समाचार का रूप धारण करने के लिए उसमें निम्न तत्त्वों में से अधिकांश या सभी का होना आवश्यक होता है: नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, संघर्ष, महत्त्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियाँ, अनोखापन आदि ।

डेडलाइन- *समाचार माध्यमों के लिए समाचारों को कवर करने के लिये निर्धारित समय-सीमा को डेडलाइन कहते हैं।*

९. **संपादन :** प्रकाशन के लिए प्राप्त समाचार सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके पठनीय तथा प्रकाशन योग्य बनाना संपादन कहलाता है।

१०. **संपादकीय:**संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना या समस्या पर लिखे गए विचारत्मक लेख को, जिसे संबंधित समाचारपत्र की राय भी कहा जाता है, संपादकीय कहते हैं।संपादकीय किसी एक व्यक्ति का विचार या राय न होकर समग्र पत्र-समूह की राय होता है, इसलिए संपादकीय में संपादक अथवा लेखक का नाम नहीं लिखा जाता ।

११: **पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार:**

(१) **<u>खोजी पत्रकारिता</u>-** जिसमें आम तौर पर सार्वजनिक महत्त्व के मामलों जैसे, भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों की गहराई से छानबीन कर सामने लाने की कोशिश की जाती है। स्टिंग ऑपरेशन खोजी पत्रकारिता का ही एक नया रूप है।

(२) **<u>वाचडाग पत्रकारिता</u>-** लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है और कोई गड़बड़ी होने पर उसका परदाफ़ाश करना होता है, परंपरागत रूप से इसे वाचडाग पत्रकारिता कहते हैं।

(३) **<u>एडवोकेसी पत्रकारिता</u>**- इसे पक्षधर पत्रकारिता भी कहते हैं। किसी खास मुद्दे या विचारधारा के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं।

(४) **<u>पीतपत्रकारिता</u>-**पाठकों को लुभाने के लिये झूठी अफ़वाहों, आरोपों-प्रत्यारोपों, प्रेमसंबंधों आदि से संबंधि सनसनीखेज समाचारों से संबंधित पत्रकारिता को पीतपत्रकारिता कहते हैं।

(५) **<u>पेज थ्री पत्रकारिता</u>**- एसी पत्रकारिता जिसमें फ़ैशन,और जानेमाने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है।

पत्र लेखन

पत्र लेखन- हर्ष, शोक, सूचना, समाचार, प्रार्थना और स्वीकृति आदि भावों को लेकर कागज पर लिखी किसी अधिकारी, स्वजन या सामान्य जन को सम्बोधित वाक्यावली को पत्र कहते है.

पत्र का महत्व

यदपि सूचना तथा दूरसंचार तकनीक के अधिक विकसित हो जाने के कारण अब पत्रों का लेखन और प्रेषण बहुत कम हो गया है. तथापि या फिर भी पत्र लेखन का महत्व अब भी यथावत् बना हुआ है. पत्र लेखन में कुछ विशेषताएं हैं जो संदेश भेजने के अन्य माध्यमों से संभव नही है.

पत्र लेखन में हम अपने विचारों को यथारूचि विस्तार दे सकते है. पत्र में अपने भाव सोच समझकर अच्छी भाषा में लिखने का पर्याप्त अवसर रहता है. पत्र में यदि कुछ गलत या अशोभनीय या गलत लिख जाए तो उसे निरस्त कर पुनः दूसरा पत्र लिखा जा सकता है. पत्र को प्रमाण के रूप में कभी तक रखा जा सकता है. कभी कभी तो लोग पत्र के माध्यम से सदा के लिए मित्र बन जाते है.

एक अच्छे पत्र की विशेषताएं (Letter Writing Features/characteristic in hindi)

पत्र लेखन एक कला है. एक सुगठित और संतुलित पत्र ही उतम पत्र माना जा सकता है. एक अच्छे पत्र में निम्न लिखित विशेषताएं होनी चाहिए.

1. **सक्षिप्तता**– पत्र में विषय का वर्णन संक्षेप में करना चाहिए. एक ही बात को बार बार दोहराने की प्रवृति से बचना चाहिए.
2. **संतुलित भाषा का प्रयोग-** पत्र में सरल, बोधगम्य भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए. ऐसे शब्दों का प्रयोग नही करना चाहिए, जिन्हें पत्र पाने वाला नही समझता हो.
3. **तारतम्यता**– पत्र में सभी बातें एक तारतम्य में रखी जानी चाहिए. ऐसा न हो कि आवश्यक बाते छुट जाए और कम महत्व की बातों का अधिकाँश भाग में प्रयुक्त हो जाए. पत्र में सभी बातें उचित क्रम में लिखी होनी चाहिए.
4. **शिष्टता-** पत्र में संयमित, विनम्र और शिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए. कडवाहट भरे शब्द लिखना या अशिष्ट भाषा का प्रयोग करना सर्वथा अनुचित है.
5. **सज्जा-** पत्र को साफ़ सुथरे कागज पर सुलेख में लिखा जाए. तिथि, स्थान व संबोधन यथास्थान लिखने से पत्र में आकर्षण बढ़ जाता है.

पत्र के अंग (Parts of the letter)

जो बातें सामान्यत सभी प्रकार के पत्रों में होती है, उन्हें पत्र के आवश्यक अंग कहते है. पत्रों के छ अंग होते है जो ये है.

- **संबोधन और अभिवादन-** यह पत्र में बाई ओर लिखा जाता है. पारिवारिक पत्रों में संबोधन लिखा जाता है. जैसे पूज्य पिताजी, प्रिय भाई आदि. सरकारी और व्यावसायिक पत्रों में संबोधन की विधि निर्धारित होती है

, जैसे महोदय, प्रिय महोदय. अभिवादन भी व्यक्ति के पद या मर्यादा के अनुरूप लिखा जाता है. जैसे सादर प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद लिखा जाता है.

पत्र भेजने की तिथि (Date of sending letters)

अनौपचारिक पत्रों में भेजने वाले के पते के नीचे, दिनाकं, महिना और सन लिखा जाता है. औपचारिक पत्रों में दिनाकं सबसे नीचे लिखा जाता है.

पत्र की विषय सामग्री (The content of the letter)

यह पत्र का मुख्य भाग है. इसी में समाचार सूचनाएँ, आवेदन, आदेश व शिकायत आदि अलग अलग अनुच्छेदों में लिखा जाता है.

पत्र का अंत (End of letter)

पत्र के अंत में बाई ओर ही पत्र लिखने वाले के द्वारा अपने सम्बन्ध या पड़ के अनुरूप शब्द यथा भवदीय, आपका, आज्ञाकारी, शुभेच्छु आदि लिखकर नीचे अपने हस्ताक्षर किये जाते है.

- **भेजने वाले का पता**-बाई ओर पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है. इससे पत्र प्राप्त करने वाले को, पत्र भेजने वाले का सही सही पता ज्ञात हो जाता है. और उसे उतर भेजने में कठिनाई नही होती है.
- **पत्र पाने वाले का पता**– पत्र समाप्ति के बाद पोस्टकार्ड, अंतरदेशीय पत्र तथा लिफ़ाफ़े पर पत्र पाने वाले का स्पष्ट पता लिखा जाता है. पते के साथ पिनकोड अवश्य लिखना चाहिए.
- सम्बोधन, अभिवादन तथा पत्र के अंत में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के कुछ उदहारण

गुरुजनों और परिवार के बड़े लोगों को

- **संबोधन-** मान्यवर, आदरणीय, पूजनीय, श्रद्धेय, माननीय, पूजनीया
- **अभिवादन-** सादर स्पर्श
- **अंत के शब्द-** आपका आज्ञाकारी पुत्र, भाई, अनुज, छात्र, शिष्य, आदि स्त्रिलिग़ में आज्ञाकारी पुत्री, बहन, छात्रा, शिष्या आदि.

बराबर वालों को

- **संबोधन**– प्रिय मित्र, प्रिय भाई, प्रिय बहिन, बंधुवर, प्रियवर आदि.
- **अभिवादन-** नमस्कार
- **अंत के शब्द**– स्त्रीलिंग में तुम्हारी प्रिय सखी, बहिन आदि.

छोटों को

- **संबोधन**– चिरंजीव, प्रिय, आयुष्मती
- **अभिवादन-** शुभाशीर्वाद, प्रसन्न रहो
- अंत के शब्द- तुम्हारा, शुभेच्छु, शुभचिंतक, हितैषी आदि.

परिचित को

- **संबोधन-** प्रिय (नाम), श्रीमती (नाम), विवाहितों के लिए
- **अभिवादन**– नमस्ते

अपरिचित को

- **संबोधन**– प्रिय, महाशय, महोदय, महोदया, श्री (नाम)
- **अभिवादन-** नमस्कार
- **अंत के शब्द**– भवदीय, आपका (स्त्रीलिंग में) भवदीया, आपकी

किसी अधिकारी को

- **संबोधन**– महोदय, महोदया
- **अभिवादन-** नमस्ते
- **अंत के शब्द**– भवदीय, भवदीया

पत्रों के प्रकार (Types of letters)

पत्रों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है.

1. औपचारिक पत्र (formal letter)
2. अनौपचारिक पत्र (informal letter)

औपचारिक पत्र (formal letter)

औपचारिक पत्र व्यवहार उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है. जिनके साथ पत्र लेखक का कोई निजी या पारिवारिक सम्बन्ध नही होता है. औपचारिक पत्रों में व्यक्तिगत समाचार पर बातचीत अथवा आत्मीयता का कोई स्थान नही होता है. इस प्रकार के पत्रों में मुख्य तथ्य ही केंद्र होता है.

औपचारिक पत्रों में निम्न प्रकार के पत्र शामिल किये जा सकते है.

- **प्रार्थना पत्र-** विद्यालय के प्रधानाचार्य/ प्रधानाचार्या/ मुख्याध्यापक/ मुख्याध्यापिका को अवकाश, शुल्क मुक्ति, आर्थिक सहायता, छात्रवृति अथवा विद्यालय से सम्बन्धित किसी प्रकार की कठिनाई या समस्या से सम्बन्धित.
- **आवेदन पत्र-** किसी कंपनी, संस्था अथवा औद्योगिक इकाई आदि में नौकरी के लिए
- **बधाई पत्र-** किसी अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ व्यक्ति को किसी विशेष सफलता या उपलब्धी आदि पर.
- **शुभकामना पत्र-** किसी अधिकारी द्वारा अपने विभाग में कार्यरत किसी कर्मचारी को विदेश यात्रा, पदोन्नति आदि पर.
- **धन्यवाद पत्र-** किसी विशेष उत्सव/ कार्य गोष्ठी/कार्यक्रम/ प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि में सहयोग देने के लिए किसी विशेयज्ञ/ शिक्षाविद् आदि को धन्यवाद देने के लिए
- **सांत्वना पत्र-** किसी अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ व्यक्ति के स्वयं या उसके परिवार के किसी सदस्य के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने या किसी प्रकार की शोकजनक घटना पर सांत्वना देने के लिए.
- **शिकायती पत्र-** किसी समस्या से सम्बन्धित अपने विचार या कठिनाई अधिकारियों तक पहुचाने के लिए
- **संपादकीय पत्र-** किसी समाचार पत्र के संपादक के माध्यम से अपनी बात सरकार या अधिकारियों तक पहुचाने के लिए
- **व्यावसायिक पत्र**– व्यापारिक प्रतिष्ठानों/ प्रकाशकों/ पुस्तक विक्रेताओं आदि को लिखे गये पत्र

अनौपचारिक पत्र (informal letter)

अनौपचारिक पत्राचार उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है. जिनसे पत्र लेखक का व्यक्तिगत या निजी सम्बन्ध होता है. अपने मित्रों माता-पिता अन्य सम्बन्धियों आदि को लिखे गये पत्र अनौपचारिक के अंतर्गत आते है. अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव रहता है.

तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी किया जाता है. अनौपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र रखे जा सकते है.

- बधाई पत्र
- शुभकामना पत्र
- निमंत्रण पत्र
- विशेष अवसरों पर लिखे गये पत्र
- सांत्वना पत्र
- किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए
- कोई सलाह आदि देने के लिए

पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य सावधानियाँ (Letter writing to keep in mind considerations)

1. पत्र लेखक तथा प्रापक की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए
2. पत्र सारगर्भित होना चाहिए
3. पत्र सुलेख में लिखा होना चाहिए
4. पत्र में सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए
5. पत्र में विषय दिनांक, भेजने वाले का नाम आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए.
6. पत्र में काट छांट नही होनी चाहिए.

UNIT IV

राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति

हमारे देश का संविधान 2 वर्ष, 11 माह तथा 18 दिन की अवधि में निर्मित हुआ तथा 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व देश में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ-साथ हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाये जाने की सर्वाधिक मांग की जाती रही थी।

संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग को दृष्टिगत रखते हुए संविधान सभा ने 14/9/1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार करते हुए राजभाषा हिंदी के संबंध में प्रावधान किए।

संविधान के भाग 5 एवं 6 के क्रमश: अनुच्छेद 120 तथा 210 में तथा भाग 17 के अनुचछेद 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 तथा 351 में राजभाषा हिंदी के संबंध में निम्न प्रावधान किये गए हैं। इन प्रावधानों के साथ ही संप्रति भारत की 22 भाषाओं को संविधान की अनुसूची-8 में मान्यता दी गई है। ये भाषाएँ इस प्रकार हैं-

हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, असमिया, ओड़िया, बांगला, गुजराती, मराठी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, मैथिली, बोड़ो ता डोगरी।

सन 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। सन 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी भाषाएँ 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थीं। सन 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा संथाली, मैथिली, बोडो तथा डोगरी भाषाएँ 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थीं।

अनुवाद का अर्थ

अनुवाद एक भाषिक क्रिया है। भारत जैसे बहुभाषा-भाषी देश में
अनुवाद का महत्त्व प्राचीन काल से ही स्वीकृत है। आधुनिक युग में
जैसे-जैसे स्थान और समय की दूरियाँ कम होती गई वैसे-वैसे द्विभाषिकता

की स्थितियों और मात्रा में वृद्धि होती गई और इसके साथ-साथ अनुवाद का महत्त्व भी बढ़ता गया। अन्यान्य भाषा-शिक्षण में अनुवाद विधि का प्रयोग न केवल पश्चिमी देशों में वरन् पूर्वी देशों में भी निरन्तर किया जाता रहा है। बीसवीं शताब्दी में देशों के बीच दूरियाँ कम होने के परिणामस्वरूप विभिन्न वैचारिक धरातलों और आर्थिक, औद्योगिक स्तरों पर पारस्परिक भाषिक विनिमय बढ़ा है और इस विनिमय के साथ-साथ अनुवाद का प्रयोग और अधिक किया जाने लगा है। बहरहाल, अनुवाद की प्रक्रिया, प्रकृति एवं पद्धति को समझने के लिए 'अनुवाद क्या है ?' जानना बहुत ज़रूरी है। चर्चा की शुरुआत 'अनुवाद' के अर्थ एवं परिभाषा' से करते हैं।

'अनुवाद' का अर्थ- अंग्रेजी में एक कथन है : 'Terms are to be identified before we enter into the argument' इसलिए अनुवाद की चर्चा करने से पहले 'अनुवाद' शब्द में निहित अर्थ और मूल अवधारणा से परिचित होना आवश्यक है। 'अनुवाद' शब्द संस्कृत का यौगिक शब्द है जो 'अनु' उपसर्ग तथा 'वाद' के संयोग से बना है। संस्कृत के 'वद्' धातु में 'घञ' प्रत्यय जोड देने पर भाववाचक संज्ञा में इसका परिवर्तित रूप है 'वाद'। 'वद्' धातु का अर्थ है 'बोलना या कहना' और 'वाद' का अर्थ हुआ 'कहने की क्रिया' या 'कही हुई बात'। 'अनु' उपसर्ग अनुवर्तिता के अर्थ में व्यवहृत होता है। 'वाद' में यह 'अनु' उपसर्ग जुडकर बनने वाला शब्द 'अनुवाद' का अर्थ हुआ-'प्राप्त कथन को पुन: कहना'। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि 'पुन: कथन' में अर्थ की पुनरावृत्ति होती है, शब्दों की नहीं। हिन्दी में अनुवाद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्द हैं : छाया, टीका, उल्था, भाषान्तर आदि। अन्य भारतीय भाषाओं में 'अनुवाद' के समानान्तर प्रयोग होने वाले शब्द हैं : भाषान्तर(संस्कृत, कन्नड, मराठी), तर्जुमा (कश्मीरी, सिंधी, उर्दू), विवर्तन, तर्ज्जुमा(मलयालम), मोषिये चय्यु(तमिल), अनुवादम्(तेलुगु), अनुवाद (संस्कृत, हिन्दी, असमिया, बांग्ला, कन्नड, ओडिआ, गुजराती, पंजाबी, सिंधी)।

प्राचीन गुरु-शिष्य परम्परा के समय से 'अनुवाद' शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में भारतीय वाड्मय में होता आ रहा है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति

में गुरु द्वारा उच्चरित मंत्रों को शिष्यों द्वारा दोहराये जाने को 'अनुवचन' या 'अनुवाक्' कहा जाता था, जो 'अनुवाद' के ही पर्याय हैं। महान् वैयाकरण पाणिनी ने अपने 'अष्टाध्यायी' के एक सूत्र में अनुवाद शब्द का प्रयोग किया है : 'अनुवादे चरणानाम्'। 'अष्टाध्यायी' को 'सिद्धान्त कौमुदी' के रूप में प्रस्तुत करने वाले भट्टोजि दीक्षित ने पाणिनी के सूत्र में प्रयुक्त 'अनुवाद' शब्द का अर्थ 'अवगतार्थस्य प्रतिपादनम्' अर्थात् 'ज्ञात तथ्य की प्रस्तुति' किया है। 'वात्स्यायन भाष्य' में 'प्रयोजनवान् पुन:कथन' अर्थात् पहले कही गई बात को उद्देश्यपूर्ण ढंग से पुन: कहना ही अनुवाद माना गया है। इस प्रकार भतर्ृहरि ने भी अनुवाद शब्द का प्रयोग दुहराने या पुनर्कथन के अर्थ में किया है : 'आवृत्तिरनुवादो वा'। 'शब्दार्थ चिन्तामणि' में अनुवाद शब्द की दो व्युत्पत्तियाँ दी गई हैं : 'प्राप्तस्य पुन: कथनम्' व 'ज्ञातार्थस्य प्रतिपादनम्'। प्रथम व्युत्पत्ति के अनुसार 'पहले कहे गये अर्थ ग्रहण कर उसको पुन: कहना अनुवाद है' और द्वितीय व्युत्पत्ति के अनुसार 'किसी के द्वारा कहे गये को भलीभाँति समझ कर उसका विन्यास करना अनुवाद है। दोनों व्युत्पत्तियों को मिलाकर अगर कहा जाए 'ज्ञातार्थस्य पुन: कथनम्', तो स्थिति अधिक स्पष्ट हो जाती है। इस परिभाषा के अनुसार किसी के कथन के अर्थ को भलीभाँति समझ लेने के उपरान्त उसे फिर से प्रस्तुत करने का नाम अनुवाद है।

संस्कृत में 'अनुवाद' शब्द का प्रयोग बहुत प्राचीन होते हुए भी हिन्दी में इसका प्रयोग बहुत बाद में हुआ। हिन्दी में आज अनुवाद शब्द का अर्थ उपर्युक्त अर्थों से भिन्न होकर केवल मूल-भाषा के अवतरण में निहित अर्थ या सन्देश की रक्षा करते हुए दूसरी भाषा में प्रतिस्थापन तक सीमित हो गया है। अंग्रेजी विद्वान मोनियर विलियम्स ने सर्वप्रथम अंग्रेजी में 'translation' शब्द का प्रयोग किया था। 'अनुवाद' के पर्याय के रूप में स्वीकृत अंग्रेजी 'translation' शब्द, संस्कृत के 'अनुवाद' शब्द की भाँति, लैटिन के 'trans' तथा 'lation' के संयोग से बना है, जिसका अर्थ है 'पार ले जाना'-यानी एक स्थान बिन्दु से दूसरे स्थान बिन्दु पर ले जाना। यहाँ एक स्थान बिन्दु 'स्रोत-भाषा' या 'Source Language' है तो दूसरा स्थान बिन्दु 'लक्ष्य-भाषा'

या 'Target Language' है और ले जाने वाली वस्तु 'मूल या स्रोत-भाषा में निहित अर्थ या संदेश होती है। 'ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी' में 'Translation' का अर्थ दिया गया है-'a written or spoken rendering of the meaning of a word, speech, book, etc. in an another language.' ऐसे ही 'वैब्स्टर डिक्शनरी' का कहना है-'Translation is a rendering from one language or representational system into another. Translation is an art that involves the recreation of work in another language, for readers with different background.'

बहरहाल, अनुवाद का मूल अर्थ होता है-पूर्व में कथित बात को दोहराना, पुनरुक्ति या अनुवचन जो बाद में पूर्वोक्त निर्देश की व्याख्या, टीका-टिप्पणी करने के लिए प्रयुक्त हुआ। परंतु आज 'अनुवाद' शब्द का अर्थ विस्तार होकर एक भाषा-पाठ (स्रोत-भाषा) के निहितार्थ, संदेशों, उसके सामाजिक-सांस्कृतिक तत्त्वों को यथावत् दूसरी भाषा (लक्ष्य-भाषा) में अंतरण करने का पर्याय बन चुका है। चूँकि दो भिन्न-भिन्न भाषाओं की अलग-अलग प्रकृति, संरचना, संस्कृति, समाज, रीति-रिवाज, रहन-सहन, वेशभूषा होती हैं, अत: एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में यथावत् रूपांतरित करते समय समतुल्य अभिव्यक्ति खोजने में कभी-कभी बहुत कठिनाई होती है। इस दृष्टि से अनुवाद एक चुनौती भरा कार्य प्रतीत होता है जिसके लिए न केवल लक्ष्य-भाषा और स्रोत-भाषा पर अधिकार होना जरूरी है बल्कि अनुद्य सामग्री के विषय और संदर्भ का गहरा ज्ञान भी आवश्यक है। अत: अनुवाद दो भाषाओं के बीच एक सांस्कृतिक सेतु जैसा ही है, जिस पर चलकर दो भिन्न भाषाओं के मध्य स्थित समय तथा दूरी के अंतराल को पार कर भावात्मक एकता स्थापित की जा सकती है। अनुवाद के इस दोहरी क्रिया को निम्नलिखित आरेख से आसानी से समझा जा सकता है :

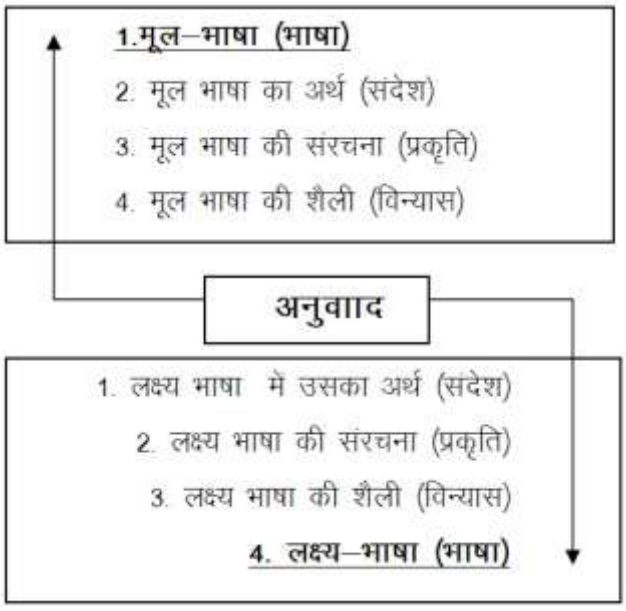

अनुवाद के प्रकार

अनुवाद के तीन प्रकार हैं।

(1) शब्दानुवाद या अविकल अनुवाद (Literal translation)
(2) भावानुवाद (Faithful translation)
(3) स्वतंत्रानुवाद (Free translation)

(1) शब्दानुवाद (Literal translation)- यह मूल भाषा का शाब्दिक अनुवाद हैं।

उदाहरणार्थ- He first went to school in his own village, but while he was yet very young he went to Calcutta इसका शब्दानुवाद इस प्रकार होगा- 'पहले वह अपने ही गाँव की पाठशाला में पढ़ने गया। बाद में, जब वह बहुत छोटा ही था, तभी उसे कलकत्ता पढ़ने जाना पड़ा।' यहाँ 'He went to Calcutta का सीधा-सादा अनुवाद 'वह कलकत्ता गया' कर देना ठीक नहीं जँचता क्योंकि यहाँ चर्चा शिक्षा की हो रही हैं। यहाँ इसका अनुवाद 'पढ़ने जाना पड़ा' लिखना ठीक होगा।

इसी प्रकार अँग्रेजी का एक पद है 'To be patient with' जिसका अर्थ होता है- किसी उद्धत या अनुचित व्यवहार पर भी शान्त रहना, गम खाना या तरह दे जाना आदि। अँग्रेजी के एक वाक्य में इसका प्रयोग 'being patient with' के रूप में हुआ था। हिन्दी के एक पत्रकार ने बिना समझे-बूझे उस वाक्य का इस प्रकार शब्दानुवाद करके रख दिया था- 'राष्ट्रपति रूजबेल्ट श्री विन्स्टेन चर्चिल के मरीज हैं।' 'Patient' शब्द दिखाई पड़ा और उसका सीधा-साधा अर्थ 'मरीज' करके रख दिया। ..... एक बार जब बंगाल के एक प्रधान मंत्री ढाका का दंगा शान्त कराने के लिए वहाँ गये थे, तब उनकी उस 'flying visit' के सम्बन्ध में एक पत्र में लिखा दिया था- 'वे हवाई जहाज से ढाका गये थे।"

इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि शब्दों पर ध्यान रख कर अनुवाद करना अनुचित है। इससे अर्थ का अनर्थ हो सकता है और मूल अर्थ ही विकृत हो जायेगा। अतः शब्दानुवाद एक खतरा है, जिससे छात्रों को भरसक बचना चाहिए। यह स्मरण रखना चाहिए कि अनुवाद शब्दों का नहीं अर्थों का होता है।

(2) भावानुवाद (Faithful translation)- लेखक के मूल भावों या अर्थों को अपनी भाषा में प्रकट कर देना 'भावानुवाद' है। अँग्रेजी में इसे 'Faithful translation' कहते हैं। इसमें यह देखना पड़ता है कि मूल भाषा का एक भी भाव छूटने न पाये। इसकी सफलता इस बात में है कि मूल भाषा के सभी भाव दूसरी भाषा में रूपान्तरित हो जायँ। यहाँ अनुवादक का ध्यान शब्दों पर न जा कर विशेष रूप से मूल भाव पर रहता हैं।

"भावानुवाद में हम मूल भाषा के शब्दों को तोड़-मरोड़ सकते हैं, वाक्यों को आगे-पीछे कर सकते हैं, मुहावरों को अपने साँचे में ढाल सकते हैं, लेकिन वाक्यों को अपने इच्छानुसार घटा-बढ़ा नहीं सकते। भावानुवाद तात्पर्य में, आकार-प्रकार में, मूल भाषा से बिल्कुल मिलता-जुलता हैं। इसमें न अपनी ओर से निमक-मिर्च लगा सकते हैं, न लम्बी-चौड़ी भूमिका बाँध सकते हैं। जो बात जिस उद्देश्य को ले कर जिस ढंग से कही गयी हैं, उस बात को, उसी उद्देश्य से और जहाँ तक हो उसी ढंग से कहना पड़ता हैं।"

B.Com III Year **Subject- Hindi**

UNIT V

1. धर्म की अवधारणाः

प्राचीन काल से ही मनुष्य के भीतर प्राकृतिक घटनाओं एवं लोकोत्तर शक्तियों के प्रति विश्वास की प्रवृत्तियाँ रही है। यह विश्वास कभी भय, कभी आस्था तो कभी समर्पण के रूम में मानव द्वारा स्वीकृत होता रहा है। मानवीय शक्ति से श्रेष्ठ विश्व बन्धुत्व का भाव और सबसे श्रेष्ठ ईश्वर को माना जाता रहा है। धर्म की शरूवात मनुष्य से होती है और उसकी परिणति ईश्वर में। मनुष्य और ईश्वर के बीच सेतु का कार्य धर्म ही करता है। इस प्रकार धर्म मनुष्य द्वारा ईश्वर तक पहुँचने का एक माध्यम है।

भारतीय चिन्तन में धर्म के दो कार्य बताये गए है– 'कर्म' और अध्यात्म'। कर्म का सम्बन्ध संसार से है और अध्यात्म का ईश्वरीय चेतना से।

भारत को सभी धर्मों की शरण स्थली माना जाता है। विश्व के सभी धर्म अपनी विशेषताओं, उपासना, पद्वातियों, दार्शनिक मान्यताओं एवं मतों संप्रदायों के साथ भारत में निवास करते है। यहाँ एक धर्म को वरीयता न देकर सभी धर्मो के प्रति सहिष्णुता का भाव रखा जाता है।

भारत में निम्नलिखित धर्मों/धार्मिक मान्यताओं एवं अनुयायियों का उल्लेख किया जाता है।

1. हिन्दू धर्म
2. बौद्ध धर्म
3. जैन धर्म
4. सिक्ख धर्म
5. इस्लाम धर्म
6. ईसाई धर्म
7. पारसी धर्म
8. यहूदी धर्म

1. हिन्दू धर्म– हिन्दू धर्म को सनातन धर्म अथवा वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। हिन्दू धर्म किसी एक प्रवर्तक या धर्मग्रंथ के नाम के नाम पर विकसित न होकर बहुआयामी एवं अनेक पद्वतियों से परिपूर्ण है। कर्म का सिद्वांत, पुनर्जन्म, मोक्ष भक्ति, समर्पण, शुद्वता जीव–जगत्, आत्मा ईश्वर के वास्तविक रूप को जानने की उत्कट अभिलाषा, साधना, व्रत, तीर्थ, मंदिर, मूर्तिपूजा, सहिष्णुता, उदारता, पर दुःख कातरता, करूणा, सत्य, अहिंसा, परोपकार, आस्था–विश्वास आदि हिन्दू धर्म के आधारभूत स्तंभ है।

   उत्तर वैदिक काल में प्राकृतिक देवताओं की जगह ब्रह्मा–विष्णु–महेश जैसी त्रिमूर्तियों तथा शक्ति, गणेश एवं अंशावतारों की वृहद कल्पना की गई, जिसके फलस्वरूप अवतारवाद की

धारणा ने जन्म लिया। मध्यकाल अनेक धार्मिक प्रवृत्तियों, संप्रदायों पंथो एवं साधना पद्धतियों के लिए महत्वपूर्ण है। फारसी, बौद्ध आदि धार्मिक दार्शनिक मान्यताओं से अनुप्रमाणित हिन्दू धर्म में अनेक नए विचारों एवं जीवन–आदर्शो का सम्मिश्रण हुआ।
आधुनिक काल में 'हिन्दू धर्म' को पुनर्जागरण से जोड़ते हुए उसकी नवीन व्याख्याएँ की गई। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसायटी, जैसी संस्थाओं द्वारा हिन्दू समाज में व्याप्त अन्धरूढ़ियों, अंधविश्वासों पर कड़े प्रहार किये गए।

2. बौद्ध धर्म– इस धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध ने चार आर्य सत्य माने है जिन्हें क्रमंशः दुःख सम्बन्ध, दुःख निवृत्ति के उपाय कहा जाता है। बौद्ध धर्म में दुःख निवृत्ति के आठ उपाय बताये गए हैं, जिन्हें 'आष्टांगिक मार्ग' कहते हैं– सम्यक् दृष्टि सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाणी, सम्यक् कर्म, सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि। इस धर्म में 'सम्यक्' शब्द संतुलन या मध्य मार्ग का प्रतीक है। बौद्ध धर्म की मान्यता है कि बहुत जानना या बिल्कुल ही न जानना, बहुत प्रसन्नता या बहुत दुःख ये दोनों अतिवादी छोर हैं। दोनों के बीच का रास्ता ही संतुलन या मध्यम मार्ग है।
बौद्ध धर्म को हिन्दु धर्म का ही सुधारवादी आंदोलन कहा जाता है।
मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका तक किया था। बौद्ध धर्म का सम्पूर्ण साहित्य विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक में संगृहीत है। आगे चलकर महायान और हीनयान नामक दो संप्रदाय भी बन गए। बौद्ध धर्म का प्रभाव भारत, चीन, जापान, तिब्बत आदि देशों पर ज्यादा पड़ा।
3. जैन धर्म– जैन धर्म को भी हिन्दू धर्म की एक विकासवादी अवस्था की शाखा माना जाता है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म की दो शाखाएँ है पहली श्वेताम्बर और दूसरी दिगम्बर। श्वेताम्बर यानी वे जैन भिक्षु जो श्वेत वस्त्र धारण करते है और दिगम्बर उन्हें कहा जाता है जो आकाश को ही अपना वस्त्र मानते है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म ईसा से 600 वर्ष पूर्व बिहार के कुण्डग्राम में हुआ था। बचपन में ये वर्धमान के नाम से जाने जाते थे 30 वर्ष की अवस्था में राजपाट छोड़कर इन्होनें लगातार 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। अत्यधिक पराक्रमी होने के कारण इन्हें 'महावीर' की संज्ञा प्राप्त हुई। 72 वर्ष की आयु में पावा नामक स्थान पर इनका देहावसान हुआ। जैन धर्म में पाँच महाव्रतों–सत्य, अंहिसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को माना जाता है तपस्या जैन धर्म का मूल आधार है। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है इस धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी से 250 वर्षो पूर्व हुआ था। पार्श्वनाथ ने चार ही व्रत माना था। महावीर स्वामी ने पाँचवें 'ब्रह्मचर्य को शामिल किया।

4. सिक्ख धर्म– 'सिक्ख' शब्द शिष्य का अपभ्रंश है। गुरू के प्रति शिष्य का आदर एवं समर्पण भाव ही सिंक्ख धर्म की बुनियाद है। सिक्ख धर्म के संस्थापक गुरू नानकदेव ;1469–1538द्ध थे। वे मानवता, विश्वबन्धुत्व, सहिष्णुता एवं दयाभाव में विश्वास करते थे।

''सबमें उसका नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया''

सिक्ख धर्म के पहले गुरू नानक देव और अंतिम 10 वें गुरू गोविन्द सिंह के अलावा आठ अन्य गुरू थें जिनमें कुछ प्रमुख निम्न हैं–

1. गुरू अंगद गुरूमुखी लिपि के जनक।
2. अमरदास सती प्रथा, पर्दाप्रथा के विरोधी।
3. रामदास अमृतसर की स्थापना की।
4. अर्जुनदेव गुरू ग्रंथ साहब का संकलन एवं मंदिर की नींव रखी।
5. तेगबहादुर इस्लाम धर्म स्वीकार न करने पर इन्हें फाँसी पर चढ़ा दिया गया। वहाँ का गुरूद्वारा शीशगंज आज भी प्रसिद्ध है, जो दिल्ली के चाँदनी चौक में स्थित है।
6. गुरू गोविन्द सिंह खालसा सेना के संस्थापक। सिक्ख धर्म के अनुयायियों के लिए पाँच चीजें–केश, कंघा, कृपाण, कच्छा व कड़ा अनिवार्य है।

5. इस्लाम धर्म– इस्लाम धर्म की शुरूआत सातवीं शताब्दी में अरब देश में हुई। इसके प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब के जन्म के पूर्व अरब देश में अरबी धर्म प्रचलित था जिसमें बहु देव पूजा का प्रचलन था। प्राचीन अरबी धार्मिकता बर्बता के चरमोत्कर्ष पर थी। गुफा में 15 वर्षो तक तपस्या करने पर उन्हें अल्लाह का आदर्श प्राप्त हुआ और उन्होने धार्मिक सुधार किया। अरब में उनका भयंकर विरोध शुरू हुआ। फलस्वरूप मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा यह घटना 24 सितम्बर 662 ई. है। अतः इसी दिन से मुसलमानों का हिज़री संवत प्रारंभ होता है। इस्लाम धर्म में एक ही ईश्वर पर बल किया जाता है। यह समानता एवं भाईचारे के सिद्धान्त पर आधारित है। इस्लाम धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय है– शिया और सुन्नी। इस्लाम धर्म में अत्यधिक उदारवादी एवं प्रेम से परिपूर्ण एक नये संप्रदाय का जन्म नवीं शताब्दी के आसपास हुआ, जिसे सूफी धर्म कहा गया। 'सूफी' शब्द का अर्थ होता पवित्र। शारीरिक पवित्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण है मन की पवित्रता। मन में अगर प्रेम, दया, सौहार्द्र एवं भरोसा है तो सारे धर्म अपने हैं। सूफी इस्लामी शरीयत कर्मकाण्ड का विरोध करते थे। सूफियों में ख्वाजा अब्दुल चिश्ती, शेख इस्माइल, निजामुद्दीन औलिया, आदि के नाम बड़े आदर से लिये जाते है। इनकी दरगाहों में आज भी हिन्दू मुसलमान मत्था टेकते है और दुआएँ माँगते है।
6. ईसाई धर्म– पहली शताब्दी में सेंट थामस प्रथम की भारत–यात्रा से ही ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ, बाईबिल के दो भाग है– 1 ओल्ड टेसटामेंट 2. न्यू टेस्टामेंट । पुरानी बाइबिल को यहूदी धर्म भी कहा जाता है और इसके लेखन हजरत दाऊद तथा हजरत मूसा को माना जाता है। न्यू टेस्टामेंट में ईसामसीह के उपदेशों का संग्रह है। व्यक्ति–स्वतंत्र्य

मानवतावाद, भाई–चारा, तार्किकता एवं विचारों की मुक्तता ईसाई धर्म के मुख्य उपादान है।

ईसाई धर्म में इस्लाम एवं बौद्ध धर्म की बहुत सी बातों का समावेश हुआ है।

ईसाई धर्म में प्रेटिस्टेंट संप्रदाय का आरंभ सुधारवादी आंदोलन कर्ता मार्टिन लूथर द्वारा किया गया। प्रेटिस्टेंट मतावलंबी पोप, चर्च और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं

7. पारसी धर्म– सन् 630 ई. इराक के मुसलमानों ने ईरान पर हमला करके उन्हें हरा दिया। इसके पूर्व ईरानी लोग जिस धर्म का पालन करते थे उसे पारसी धर्म में अग्नि को सर्वस्व माना जाता है। शुद्धता, पवित्रता संस्कारों एवं प्रवृत्तियों के शुद्ध सत्वरूप में अग्नि की उपासना पारसी धर्म का मूल आधार है। पारसी धर्म में प्रकृति पूजा को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आदि की पूजा ईश्वर के रूप में की जाती है। पारसी धर्म के संस्थापक जोरो एस्टर जरथुस्त्र को माना जाता है। इनका एकमात्र पवित्र धर्म ग्रंथ जेद अवेस्ता है।

   पारसियों को जोरो एस्ट्रिन कहा जाता है इस धर्म में अनेक देवी–देवताओं को माना जाता है।

   पारसी धर्म में मृतक का अंतिम संस्कार जलाकर, दफनाकर या जल में प्रवाहित कर नहीं किया जाता है। शव को यूँ ही छोड़ दिया जाता है ताकि चील, कौए, गिद्ध इत्यादि मांस भंक्षण कर सकें। मांस भक्षी पक्षी निर्द्वन्द भाव से शव के भीतर मांस के टुकड़े खाकर तृप्त हो सकें।

8. यहूदी धर्म– अब्राहम के पुत्र ईसाक और जैकॉब के साथ ईश्वर ने धर्म का नवीनीकरण किया। जैकॉब इजराइल के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा इसकी संताने इजराइली कहलाई।

   यहूदी धर्म विश्व का एक प्राचीन धर्म है। ईसाई धर्म भी यहूदी धर्म का परिष्कृत रूप माना जाता है। यहूदी धर्म में स्वतंत्रता, मानतावाद, समानता और भाई–चारे की भावना, तार्किकता आदि के विरोध का ध्यान रखा जाता है।

   पुरानी बाइबिल यहूदी धर्म के पैगम्बर हजरत दाऊद तथा हजरत मूसा द्वारा लिखी गई है। इस धर्म के आधारभूत नियम एवं शिक्षाएँ मूल बाईबिल जिसे हिब्रू कहते है कि प्रथम पाँच पुस्तको (जो तोराह कहलाती है) यहूदी धर्म का इतिहास 'तलमुद' में मिलता है। इसी में यहूदियों के लोकजीवन एवं इतिहास का संकलन हुआ।

न्याय

प्राचीन भारत में न्याय प्रणाली के पृथक–पृथक रूप देखने को मिलने है। प्राचीन समय में यह 'क्षतिपूर्ति' नाम से प्रचलित थी। इनमें अपराधी पर स्वर्णमुद्राओं के दण्ड का प्रावधान था।

उत्तर वैदिक काल में मध्यमसी' शब्द न्यायप्रणाली से जुड़ा था। उसका अर्थ था समझौता कराने वाला। ई. पूर्व दूसरी–तीसरी शताब्दी में नयायप्रणाली को धर्मशास्त्र से जोड़ा गया था। इसमें अपराधी को मूसल लेकर राजदरबार में उपस्थित होना पड़ता था। यदि मूसल से उसी

समय अपराधी को टूकड़े कर दिए जाते थें, तो मान्यता थी कि चोर स्वर्ग जाने का अधिकारी हो गया। न्याय व्यवस्था राजा के हाथ में विद्यमान थी।

सत्य के प्रयोग

गांधी की 'आत्मकथा' जो अंग्रेजी में प्रसिद्ध हुई है; उसके असली स्वरूप में तथा उसमें जो 'दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह का इतिहास' है, इन दोनों के कुल पुष्ठ करीब एक हजार होते हैं। इन दोनों पुस्तकों के कथावस्तु को पहली बार संक्षिप्त करके इकट्ठा करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि गांधीजी की शैली ही संक्षिप्त में कहने की है इसलिए यह कार्य सरल नहीं है। एक बात और भी है कि वे सदा जितना उदेश्य पूर्ण महत्व का हो उतना ही कहते हैं। अतः उन्होंने जो भी कुछ लिखा है, उसमें काट-छाट करने से पहले दो बार सोचना ही पड़ेगा।

आधुनिक पाठक गांधीजी की 'आत्मकथा' 'संक्षिप्त मे माँगता है। उसकी इस माँग को मद्देनज़र रखते हुए तथा स्कूल-कालेजों के युवा-विद्यार्थियों के लिये यह संक्षिप्त आवृत्तियाँ तैयार की गयी है। असल ग्रन्थ का स्थान तो यह संक्षिप्त आवृत्ति कभी नहीं ले सकेगी; लेकिन ऐसी आशा रखना अवश्य अपेक्षित है कि यह संक्षेप पाठक में जिज्ञासा अवश्य उत्पन्न करेगा और बाद में अपनी अनुकूलता से जब फुरसत मिलेगी तब असली ग्रन्थ का अध्ययन करेगा

आत्मकथा लिखने का मेरा आशय नहीं है। मुझे तो आत्मकथा के बहाने सत्य के जो अनेक प्रयोग मैंने किये हैं, उसकी कथा लिखनी है। उसमें मेरा जीवन ओतप्रोत होने के कारण कथा एक जीवन ओतप्रोत होने के कारण कथा एक जीवन-वृत्तान्त जैसी बन जायेगी, यह सहीं है; लेकिन उसके हर पन्ने पर मेरे प्रयोग ही प्रकट हो तो मैं स्वयं इस कथा को निर्दोष मानूँगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे सब प्रयोगों का पूरा लेखा जनता के सामने रहे, तो वह लाभदायक सिद्ध होगा अथवा यों समझिये कि मेरा मोह है। राजनीति के क्षेत्र में हुए प्रयोगों को तो अब हिन्दुस्तान जानता है, लेकिन मेरे आध्यात्मिक प्रयोगों को, जिन्हें मैं जान सकता हूँ, और जिनके कारण राजनीति के क्षेत्र में मेरी शक्ति भी जन्मी है, उन प्रयोगों का वर्णन करना मुझे अवश्य ही अच्छा लगेगा। अगर ये प्रयोग सचमुच आध्यात्मिक हैं तो इनमें गर्व करने की गुंजाइश ही नहीं। इनमें तो केवल नम्रता की ही वृद्धि होगी। ज्यों-ज्यों मैं अपने भूतकाल के जीवन पर दृष्टि डालता जाता हूँ, त्यों-त्यों अपनी

अल्पता स्पष्ट ही देख सकता हूँ।

मुझे जो करना है, तीस वर्षों से मैं जिसकी आतुर-भाव से रट लगाये हुए हूँ वह तो आत्मदर्शन है,. ईश्वर का साक्षात्कार है, मोक्ष है। मेरे सारे काम इसी दृष्टि से होते हैं। मेरा सब लेखन भी इसी दृष्टि से होता है; और मेरा राजनीति के क्षेत्र में पड़ना भी इसी वस्तु के अधीन है। लेकिन ठेठ से ही मेरा यह मत रहा है कि जो एक के लिए शक्य है, वह सबके लिये भी शक्य है। इस कारण मेरे प्रयोग खानगी नहीं हुए-नहीं रहे। उन्हें सब देख सके, तो मुझे नहीं लगता कि उससे उनकी आध्यात्मिकता कम होगी। ऐसी कुछ चीजें अवश्य हैं कि जिन्हें आत्मा ही जानती है, जो आत्मा में ही समा जाती हैं परन्तु ऐसी वस्तु देना, यह मेरी शक्ति से परे की बात है। मेरे प्रयोगों में आध्यात्मिकता का मतलब है नैतिक, धर्म का अर्थ है नीति; आत्मा की दृष्टि से पाली गयी नीति ही धर्म है।

इसलिये जिन वस्तुओं का निर्णय बालक, नौजवान और बूढ़ें करते है और कर सकते है, इस कथा में उन्हीं वस्तुओं का समावेश होगा। अगर ऐसी कथा में मैं तटस्थ भाव से निरभिमान रहकर लिख सकूँ, तो उसमें से दूसरे प्रयोग करने वालों को कुछ सामग्री मिलेगी। इन प्रयोगों के बारे में मैं किसी भी प्रकार की सम्पूर्णता का दावा नहीं करता। जिस तरह वैज्ञानिक अपने प्रयोग अतिशय नियमपूर्वक, विचारपूर्वक और बारीकी से करता है, फिर भी उसमें उत्पन्न परिणामों को वह अन्तिम नहीं करता अथवा वे परिणाम सत्य ही हैं, इस बारे में मेरा भी वैसा ही दावा है मैंने खूब आत्मनिरीक्षण किया है; एक-एक भाव की जाँच की है, उसका पृथक्करण किया हैं। किन्तु उसमें से निकले हुए परिणाम सबके लिये अन्तिम ही है, वे सच हैं अथवा वे ही सच है ऐसा दावा मैं कभी करना नहीं चाहता। हाँ यह दावा मैं अवश्य करता हूँ कि मेरी दृष्टि से ये सच हैं और इस समय तो अन्तिम जैसे ही मालूम होते हैं। अगर न मालूम हो तो मुझे उनके सहारे कोई भी कार्य खड़ा नहीं करना चाहिये। लेकिन मैं तो पग-पग पर जिन-जिन वस्तुओं को देखता हूँ उनके त्याज्य और ग्राह्य-ऐसे दो भाग कर लेता हूँ, और जिन्हें ग्राह्य समझता हूँ, उनके अनुसार अपना आचरण बना लेता हूँ। और जब तक इस तरह बना हुआ आचरण मुझे, अर्थात् मेरी बुद्धि को और मेरी आत्मा को सन्तोष देता है , तब तक मुझे उसके शुभ परिणामों के बारे में अविचलित विश्वास रखना ही चाहिए।

मैं तो सिर्फ यह चाहता हूँ कि उनमें बतायें गये प्रयोगों को दृष्टान्तरूप मानकर सब अपने-अपने प्रयोग यथाशक्ति करें। मुझे विश्वास है कि इस संकुचित क्षेत्र में आत्मकथा के मेरे लेखों से बहुत कुछ मिल सकेगा; क्योंकि कहने योग्य एक भी बात मैं छिपाऊँगा नहीं। मुझे आशा है कि मैं अपने दोषों का खयाल पाठकों को पूरी तरह दे सकूँगा। मुझे सत्य के शास्त्रीय प्रयोगों का वर्णन करना हैं; मैं कितना भला हूँ, इसका वर्णन करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं होती है। जिस गज से स्वयं मैं अपने को मापना चाहता हूँ जिसका उपयोग हम सबको अपने-अपने विषय में करना चाहिये, उसके अनुसार तो मैं अवश्य कहूँगा कि 'उनसे' तो अभी मैं दूर हूँ।

****

renaissance